## दिल्ली विधान समा सचिवलय

#### समाचार भाग-2

### (विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

मंगलवार 23 जुलाई , 2002 / श्रावण 1, 1924 (शक)

संख्या: 220

## सदस्य की नज़र बन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित थाना मन्दिर मार्ग जिला नई दिल्ली, का निम्नलिखित संदेश प्रप्त हुआ है :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री राम भज को दिनांक 22 /7/ 2002 को पुर्वाहन 11.45 बजे, पुलिस की विधि-सम्मत् निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत बी ब्लाक के सामने ईनर सर्किल, कनाट प्लेस से नज़र बन्द किया गया ।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 22/7/2002 को अपराह्न 2.05 बजे पुलिस थाना, मन्दिर मार्ग, जिला नई दिल्ली, से रिहा कर दिया गया ।"

> एस.के.शर्मा सचिव

# DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters) Tusday, 23<sup>th</sup> July, 2002/ Shravana 1, 1924(saka)

No.220

#### DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi was received from Mandir Marg Police Station, New Delhi District, New Delhi:-

"I have the honour to inform you that Shri Ram Bhaj Hon'ble member of Legislative Assembly, Delhi was detained on the road Opposite B—Block Inner Circle Connaught Place New Delhi. U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of police at 11.45 A.M. on 22.7.2002.

He was released at 2.05 P.M from Police Station Mandir Marg on the same day i.e. 22.7.2002."

S.K.SHAMRA SECRETARY